न्यायालय संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : डॉ. प्रतिभा सिंह, आई.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 425/2020

अपीलान्ट	बनाम	**रेस्पोडेन्टस**
अभयसिंह पुत्र स्व. तख्तसिंह चौहान, जाति राजपूत, निवासी– ग्राम हिन्कूडी, ग्राम पंचायत भोमासागर, तहसील–शेरगढ जिला जोधपुर।		1. डूंगरपुरी पुत्र स्व.कस्तुरपुरी 2. मुल्तानपुरी पुत्र स्व.कस्तुरपुरी 3. दलपतपुरी पुत्र स्व.कस्तुरपुरी 4. पोलपुरी पुत्र स्व.कस्तुरपुरी 5. आसूपुरी पुत्र स्व. दुर्गपुरी 6. वीरसिंह पुत्र स्व. दुर्गपुरी 7. गंगापुरी पुत्र स्व. दुर्गपुरी जातियान–स्वामी, निवासी– हेमसागर, तहसील भणियाणा, जिला जैसलमेर। 8. उपखण्ड अधिकारी, भणियाणा 9. तहसीलदार, भणियाणा जिला–जैसलमेर।

राजस्व अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 01.3.2017 जो उपखंड अधिकारी, भणियाणा जिला जैसलमेर के द्वारा प्रकरण संख्या 153/20216 अनवान डूंगरपुरी बनाम पोलपुरी में पारित किया गया।

उपस्थितिः–

1. अपीलान्ट स्वयं उपस्थित।
2. श्री नवलसिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 08,09 की ओर से।
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 8 के अधिवक्ता बावजूद तामीली सूचना के अनुपस्थित

निर्णय

दिनांक 27 जनवरी, 2025

अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने उपखण्ड अधिकारी, भणियाणा जिला जैसलमेर के समक्ष एक प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 111, 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम हेमसागर की ख0सं0 323 रकबा 152.02 बीघा भूमि संयुक्त खातेदारी की है, जिस पर रेस्पोडेन्ट पोलपुरी, मुल्तानपुरी, दलतपपुरी एवं दुर्गपुरी काबिज चले आ रहे है। उक्त खसरा नम्बरान की भूमि की राजस्व नक्शे में अलग से तरमीम की हुई है व खाता राजस्व रेकर्ड में दर्ज

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

है। उक्त खसरा नम्बरान की भूमि के पडौस में अन्य खसरा नम्बरान की भूमि आई हुई है। रेस्पोडेन्ट संख्या एक की उक्त भूमि में अन्य पडोसी खातेदार दखल अंदाजी करते है जिससे विवाद बना रहता है, इस कारण से उक्त भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहता है। उक्त भूमि की पैमाइश हेतु पूर्व में दिनांक 6.7.2015 को आवेदन किया था जिसकी पालना दिनांक 21.11.2015 को की गई लेकिन अप्रार्थीगण द्वारा विवाद करने के कारण पैमाइश नहीं हो सकी। ऐसे में प्रार्थी उक्त भूमि के राजस्व नक्शा में तरमीम के अनुसार पत्थरगढी करवाना चाहता है। अतः पत्थरगढी किये जाने के आदेश प्रदान करावें। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.02.2017 के द्वारा रेस्पो0 संख्या एक के खसरा संख्या 323 रकबा 152.02 बीघा भूमि की नेखमबन्दी करने का आदेश पारित कर दिया जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील दिनांक 25.09.2020 को न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की है।

अपीलान्ट स्वयं एवं राजकीय अधिवक्ता उपस्थित है। दिनांक 14.01.2025 को दौरान सुनवाई रेस्पो0 संख्या 1 ता 8 को सुनवाई हेतु उपस्थित होने बाबत न्यायालय की ओर से आवाजे लगवाई गई, परन्तु न्यायालय समय की समाप्ति तक न तो उनके अधिवक्ता उपस्थित हुए और न ही स्वयं रेस्पोडेन्टगण उपस्थित हुए, जिस पर उनकी अनुपस्थिति अंकित की गई।

अपीलान्ट ने दौरान सुनवाई यह निवेदन किया कि उनकी ओर से पेश अपील एवं लिखित बहस को अन्तिम बहस माना जावें। अपीलान्ट ने अपील को अन्दर मियाद शुमार किये जाने हेतु कथन किया तथा कहा कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.03.2017 के अनुसार ख0सं0 323 ग्राम हैमसागर की पत्थरगढी की गई थी। इसके बाद अपीलान्ट द्वारा अपनी भूमि के लिये उपखण्ड अधिकारी के समक्ष आवेदन किया, इसके बाद दिनांक 12.3.2020 को ख0सं0 319 व 323 के पत्थरगढी के आदेश जारी कर दिये गये।

अपीलान्ट ने अपनी अपील में यह तथ्य भी उल्लेख किये हैं कि उनके पडौसी खातेदार डूंगरपुरी वगैराह ने खसरा संख्या 323 रकबा 153 बीघा रकबा भूमि की पत्थरगढी के आदेश उपखण्ड अधिकारी, भणियाणा न्यायालय से करवाये गये थे, जिसकी पालना ने तहसीलदार भणियाणा ने अपने पत्र कमांक 431 दिनांक 21.03.2017 के द्वारा टीम गठित करते हुए दिनांक 24 एवं 25.04.2017 को अपीलान्ट की खसरा संख्या 319 की पत्थरगढी आरम्भ करते हुए अपीलान्ट की भूमि को भी डूंगरपुरी वगैराह के कब्जे मे करवा दी गई

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

जबकि उपखण्ड अधिकारी न्यायालय के यह आदेश थे कि रावली नाडी सीमा एवं कजोई गांव की सीमा से लटठा ट्रेस मिलान कर पैमाइश करें परन्तु गठित ठीम ग्राम रावली नाडी गई ही नहीं और ग्राम कजोई सीमा में जाकर सीमा फैल घोषित कर दी। इस प्रकार खसरा संख्या 323 की रकबा 152.02 बीघा भूमि पर मौके पर नहीं जाकर अपीलान्ट की भूमि पर कब्जा करते हुए नियम विरूद्ध तरीके से पत्थरगढी की कार्यवाही कर दी गई।

अपीलान्ट को यह जानकारी होने पर उक्त विधि विरूद्ध की गई पत्थरगढी के साक्ष्यों सहित अपीलान्ट उपखण्ड अधिकारी, भणियाणा के समक्ष उपस्थित होकर आपत्ति की गई, तब उपखण्ड अधिकारी भणियाणा ने उक्त पैमाइश को नियम विरूद्ध मानते हुए अपने पत्र कमांक 366 दिनांक 16.5.2017 के द्वारा ख.सं. 323 की पुनः पैमाइश की जावे, के आदेश प्रसारित किये, जिसकी पालना में तहसीलदार, भणियाणा ने पत्रांक 955 – 959 दिनांक 23.5.2017 के द्वारा मेरी जमीन ख0सं0 319 की उल्टी पैमाइश करते हुए कार्यवाही कर दी गई। गठित टीम के द्वारा अपीलान्ट के ख0सं0 319 भूमि की पैमाइश कर अपीलान्ट को दूसरे गांव की सीमा नई भिखोडाई में अनाधिकृत रूप से घुसा कर मेरी 06 बीघा भूमि पर डूंगरपुरी वगैराह का कब्जा करवा दिया, जो कि आज दिन तक बरकरार है। उक्त नियम विरूद्ध कार्यवाही को निरस्त करवाने बाबत अपीलान्ट प्रशासन को कई बार प्रार्थना पत्र दे चुका है परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गई। दिनांक 5.6.2017 को पेमाइश कार्यवाही की मौका फर्द व नक्शा फर्द प्राप्त की, तब पता चला कि हमारे हस्ताक्षरशुद्धा नक्शा फर्द बदल कर दूसरे लगा दिये गये, जिस पर अन्य अनाधिकृत व्यक्तियों के हस्ताक्षर करवा लिये गये। अपीलान्ट के द्वारा उक्त दोनों पैमाइश के सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी, भणियाणा को अवगत कराये जाने पर उपखण्ड अधिकारी भणियाणा ने दिनांक 16.6.2017 को स्थगन आदेश जारी कर दिया जो आज दिन तक जारी है। अतः उपरोक्त दोनों पैमाइश को रदद करते हुए पूर्व की स्थिति बनाये रखने का आदेश प्रदान करावें।

अपीलान्ट ने यह भी उल्लेख किया कि जिलाधीश, जैसलमेर के आदेश के अनुसार उपखण्ड अधिकारी, भणियाणा ने अपने पत्र कमांक 120 दिनांक 6.3.2018 के तहत दोनों खसरा नम्बरान कमशः 319 व 323 के पैमाइश के आदेश दिये गये थे। इस पर तहसीलदार भणियाणा ने पत्र कमांक 717 दिनांक 17.03.2018 के तहत टीम गठित कर पैमाइश के आदेश दिये थे, इस पर पर गठित टीम द्वारा यूनियन बनाकर पैमाइश करने से मना कर दिया था, तब से लगातार अपीलान्ट उच्चाधिकारियों से निवेदन करता रहा है पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। दिनांक 12.03.2020 को तहसीलदार भणियाणा से लगातार दोनों

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

खसरो की पैमाइश करने का निवेदन करता रहा, तब दिनांक 10.9.2020 को तहसीलदार ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि नियमों के तहत पैमाइश के लिये हम अधिकृत नहीं है, उक्त कार्यवाही हेतु सम्भागीय आयुक्त न्यायालय में प्रकरण दायर करके ही दोंनों पैमाइश दिनांक 24—25.4.2017 एवं 27.5.2017 को निरस्त करवा सकते है। तब अपीलान्ट ने श्रीमान के समक्ष यह प्रकरण पेश किया गया है। अतः अपीलान्ट की अपील को स्वीकार किया जाकर उक्त दोनों पैमाइश को निरस्त करते हुए दिनांक 24.4.2017 से पूर्व की स्थिति बनाये रखने के आदेश प्रसारित करावें।

हमने अपीलान्ट की ओर से की प्रस्तुत की गई अपील एवं लिखित बहस में अंकित तथ्यों पर गहनता से मनन एवं चिंतन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, अपीलांधीन आदेश इत्यादि का गहनता से अवलोकन किया गया, जिससें यह पाया गया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने उपखण्ड अधिकारी, भणियाणा जिला जैसलमेर के समक्ष ग्राम हेमसागर की ख0सं0 323 की रकबा 152.02 बीघा भूमि जो कि संयुक्त खातेदारी की भूमि है, जिस पर वे काबिज चले आ रहे है। उक्त भूमि के पडौस में अन्य खातेदारों के खेत खसरान की भूमि है, जिसमें पडोसी खातेदार दखल अंदाजी करते है, इस कारण से रेस्पोडेन्ट अपनी उक्त खसरा नम्बरान की रकबा भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहता है। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पो0 संख्या एक के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.02.2017 द्वारा खसरा संख्या 323 रकबा 152.02 बीघा भूमि की नेखमबन्दी करने का आदेश पारित किया है।

अपीलान्ट ने यह अपील उक्त आदेश की पालना में की गई पैमाइश कार्यवाही सही नहीं होने का उल्लेख करते हुए पेश की है तथा अपीलाधीन आदेश को निरस्त करने एवं की गई पैमाइश को निरस्त करते हुए दिनांक 24.04.2017 से पूर्व की स्थिति बनाये रखने का निवेदन किया है। अपीलान्ट के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, भणियाणा के समक्ष उल्लेखित पैमाइश कार्यवाही को दर्शाते हुए उसे निरस्त करने बाबत अभ्यावेदन पेश किये जाने का कथन भी किया है, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पुनः पैमाइश करने के निर्देश तहसीलदार भणियाणा को दिये गये, जिसकी पालना में तहसीलदार भणियाणा के द्वारा टीम गठन कर पैमाइश करने के आदेश दिये जाना भी पत्रावली से दर्शित होता है। ऐसे में अपीलान्ट की ओर से उल्लेखित किये गये ऑब्जर्वेशनों तथा विवादित पैमाइश कार्यवाही किये जाने के तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए, हमारी विनम्र राय में अपीलान्ट की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश

सम्भागीय आयुक्त न्यायालय जोधपुर

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

दिनांक 1.03.2017 तथा उसकी पालना में की गई पैमाइश कार्यवाही को निरस्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन दिशा निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित कर, वादग्रस्त भूमि की उभय पक्षकारान की उपस्थिति में मौका फर्द तैयार करने के पश्चात उभय पक्षकारान की विधिवत सुनवाई करने के उपरान्त पुनः नये सिरे से आदेश पारित करने हेतु निर्देशित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों पर मनन करने एवं विश्लेषण करने के उपरान्त अपीलान्ट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी, भणियाणा के द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.03.2017 तथा उसकी पालना में की गई पैमाइश कार्यवाही को निरस्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन दिशा निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उपरोक्त वादग्रस्त भूमि की उभय पक्षकारान की उपस्थिति में मौका फर्द तैयार करने के पश्चात उभय पक्षकारान की विधिवत सुनवाई करने के उपरान्त पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। निर्णय आज दिनांक 27 जनवरी, 2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. प्रतिभा सिंह)
संभागीय आयुक्त,
जोधपुर

न्यायालय संभागीय आयुक्त जोधपुर